

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

कार्यालय:- रोड़वेज बस डिपो के पास, आगरा रोड़ दौसा

दूरभाष :- 01427-224977

Emailid- deosdausa@gmail.com

क्रमांक:-जि.शिक्षा/मु/मा/ दौसा/संस्था/फा.-बै.क.अनु. नियु0/2023/25

दिनांक:- 13.04.2023

कार्यालय-आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 में चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्र क्रमांक प.14(101) RMSSB /अर्थना/स्कूल शिक्षा/कम्प्यू.अनु./भर्ती/पात्रता/2022/1321 दिनांक 18.01.2023 एवं 1364 दिनांक 07.02.2023 के क्रम में श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(200-B)/सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु/2022 दिनांक 03.04.2023 द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों के परामर्श केम में अनुपस्थित रहने पर विभागीय नियमानुसार शेष रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान कर पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति किया जाता है। दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के दौरान इन कार्मिकों को वित्त (नियम डिवीजन) विभाग के आदेश वित्त/नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल IV में किये गये प्रावधान अनुसार L-8 में अधोलिखित शर्तों पर रुपया 18500/- (रुपया अठारह हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह पारिश्रमिक (FIX Remuneration) के रूप में देय होगा।

बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर इन नवनियुक्त कार्मिकों को संलग्न सूची में अंकित विद्यालय में दिनांक 04.05.2023 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कार्मिक कि नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जा रही है। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं कि पालना सुनिश्चित करेंगे।

- अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियुक्ति आदेश में नियत शर्तों के अध्याधीन नियत वेतन (FIX PAY) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
- परीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल समाप्ति तक संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद इनका वेतन निर्धारण वेतनमान PB1(10) 5200-20200 GP-2800 Leval-8 In Pay Matrix में नियमानुसार निर्धारित कर वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधित) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर के अपनी संतुष्टि कर ले की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सभी दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों कि सत्य प्रतियां मूल से मिलान कर आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि मूल आवेदन पत्र में अंकित नाम के अनुसार ही नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। विशेष योग्य जन से स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (PERMANENT+DISABILITY CERTIFICATE) प्राप्त करें।
- अभ्यर्थी के नाम/उपनाम का शपथ पत्र प्राप्त करें।
- संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू हाने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
- संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने पर एवं स्वास्थ्य की जांच संबंधी प्रमाण पत्र प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्राप्त कर कार्यग्रहण करावे।
- संबंधित संस्था प्रधान द्वारा अपने स्तर पर यह भी जांच कर ली जावे कि ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो। तथा 6 माह से अधिक अवधि का प्रमाण पत्र प्रमाणित किया गया हो की अपरवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलीयर को नही यदि कोई अभ्यर्थी

Digitally signed by Gharshyam Meena
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.13 18:55:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3642357



क्रिमीलीयर की श्रेणी में आता है चयन OBC में नहीं होगा सामान्य में गिना जावेगा अतः ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन इस कार्यालय को लौटा देवे।

11. ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिये। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं यदि पति की आय आधार पर जारी किया गया हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदन पत्र लौटा दिया जावे।
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान के परिपत्र क्रमांक एफ11()/आ.क.व./डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28047-100 जयपुर दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य है। उक्त प्रमाण पत्र की वैधता अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर परिपत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में एक वर्ष से अधिक अवधि का होने पर आगामी वर्ष में संवर्ग में मापदण्डों के आधार पर पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से परिपत्र में दिये गये प्रोफार्मा में शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 09 वर्षों के लिए किया जा सकता है।
13. कार्यग्रहण करने वाले अशार्थी का चेहरा आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से मिलान कर संतुष्ट होने पर कार्यग्रहण करवाया जावे।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से उनकी पात्रता आयु एवं समस्त दस्तावेजों कि जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त कि जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यावाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
16. यदि किसी आशार्थी के पास नियमानुसार बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद कि निर्धारित योग्यता नहीं हो तो संबंधित अशार्थी को कार्यग्रहण नहीं करावें। अभ्यर्थी के दस्तावेजों में किसी प्रकार त्रुटि हो तो कार्यग्रहण नहीं करावें इस कार्यालय को सूचित करें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित शपथ पत्र में प्राप्त की जावे। व दहेज ग्रहण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्राप्त करें।
18. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। अवकाश सत्र में अधिकारी द्वारा स्वीकृति आधार पर देय होगा।
19. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित चरित्र सदाचरण प्रमाण पत्र अवश्य लेना सुनिश्चित करें।
20. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश मान्य होंगे।
21. सम्बन्धित संस्था प्रधान अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय से प्राप्त कर लेवें।

संबन्धित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की अथवा अंतिम दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने की सूचना तत्काल वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एक साला दर्पण पर इसकी सूचना अपडेट करें।
संलग्न - पदस्थापन सूची।

(घनश्याम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा
दिनांक- 13.04.2023

क्रमांक-जि.शिक्षा/मु/मा/ दौसा/संस्था/फा.-बै.क.अनु. नियु0/2023/25-
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दौसा।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला दौसा।
7. समस्त सम्बन्धित संस्था प्रधान.....।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली

Signature (घनश्याम मीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक दौसा

Digitally signed by Ghanshyam Meena
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.13 18:55:20 IST
Reason: Approved

कायालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक दौरा

क्रमांक:-जि.शिक्ष/मु/मा/ दौरा/संस्था/फा.-बै.क.अनु. नियु0/2023/25

दिनांक:- 13.04.2023

वैक्तिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा - 2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र (गैर-टीएसपी) हेतु चयनित एवं अभिरूपायित अभ्यर्थियों के पदस्थान हेतु दौरा जिले को आवंटित अभ्यर्थियों में से परामर्श केय में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश

S.No.	Merit NO.	Roll No.	Name	Father Name	DOB	Gender	PRIORITY CATEGORY	SPECIAL CATEGORY	CAT.	SEL. CAT.	Address	Name of the school	BLOCK	Candidate Photo	Remarks
1	306	137142	AVDHESH KUMAR SHARMA	NAVAL KISHOR SHARMA	06-08-1995	Male	रुल		GEN-EWS	GEN	VILLAGE-PARLA KHALSA, TEHSHIL TODARHIM VANA-MEHANDIPUR BALAJI - KARAUJI pincode 321610 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, MANDAWAR (212910)(08110406013)	MAHWIA		कार्यारंभ करने से पूर्व इसकायलिय की पुर्वानुमत आवश्यक।
2	1297	196817	KARAN SINGH GURJAR	VILAY SINGH GURJAR	14-06-1991	Male	रुल		MBC	GEN	VILLAGE MORARI POST PRATAIPURA TEHSIL BASWA DAUSA pincode 303313 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHATWA (218132)(08110301105)	LALSOT		—
3	1338	196128	SAURABH KHANDELWAL	SHYAM SUNDER GUPTA	05-10-1989	Male	रुल		GEN-EWS	GEN	WARD 25 BEHIND OLD KHADI BHANDAR BADIYAL ROAD BANDIKUI - DAUSA pincode 303313 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAHNOU PS-MHWIA JILA-DAUSA (212895)(08110402002)	MAHWIA		—
4	1501	218327	ROSHAN LAL SHARMA	SURAJ MAL SHARMA	25-02-1992	Male	रुल		GEN	GEN	JAGAWALI DHANI VILL CHAWAND KA MAND TEH JAMWARAMGARH JAIPUR pincode 302027 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, KALAKHO AMBADI (212982)(08110509505)	SIKRAI		—

(धनराम शीना)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक दौरा

Signature valid

Digitally signed by Ghanshyam Meena
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.18 18:05:17 IST
Reason: Approved

